रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 | भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA | REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 23, 2003/माघ 3, 1924 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 15
No. 4] DELHI, THURSDAY, JANUARY 23, 2003/MAGHA 3, 1924 [N.C.T.D. No. 15

भाग—IV
PART—IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं

Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 जनवरी, 2003

फा. शि. नि. 4 (19)/3/स्था. IV/99-शिक्षा/12255-269.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59-एच.आई.एम.(1) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के लिए संबंधित भर्ती पद्धति और आवश्यक योग्यताओं में, यहाँ संलग्न अनुसूची में भर्ती नियमों में संशोधन करते हैं।

अनुसूची

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन के पद के भर्ती नियम

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद
1	2	3	4	5
पुस्तकालयाध्यक्ष	801* *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।	गैर लिपिकीय	5500-175-9000 रु.	लागू नहीं

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	क्या के.सि.से. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है ?	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
6	7	8
30 वर्ष से अधिक नहीं विश्वविद्यालय (केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिलनीय)। टीप :-आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहें उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिला की पांगी सब-डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।	नहीं	अनिवार्य :—(1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा इसके समकक्ष। (2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री अथवा इसके समकक्ष डिप्लोमा अथवा समकक्ष। (3) पुस्तकालय/पुस्तकालय का कम्प्यूटरीकरण में दो वर्ष का अनुभव अथवा किसी मान्यता-प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में एक वर्षीय प्रमाणपत्र अथवा समकक्ष। टीप (1) :— अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामलें में योग्यताएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं। टीप (2) :—यदि चयन की किसी अवस्था में कर्मचारी चयन आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है तो अनुभव संबंधी योग्यताएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं।

क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु-सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी ?	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत
9	10	11
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती :— पदधारी द्वारा प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या लम्बी बीमारी या अध्ययन पर चले जाने या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या इससे अधिक समय तक स्थान रिक्त रहता है तो इसे नियुक्ति प्राधिकारी के आधार पर भरा जाएगा। (क) (1) वर्तमान संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समान पदधारक या (2) 5000-9000 रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में तीन वर्षों की सेवा या वर्तमान संवर्ग/विभाग में समकक्ष तथा (ख) कॉलम 8 के अधीन सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले (प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए

		11
		अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए) टीप. :–5500–9000 रु. के वेतनमान में अपग्रेडेशन से पूर्व 1400–2600 रु. के पूर्व संशोधित वेतनमान में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के नियत धारक की उपयुक्तता, प्रारंभिक रूप से अपग्रेडिड पद के लिए नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी। उपयुक्त निर्धारित होने पर उन्हें प्रारंभिक नियुक्ति में नियुक्त किया गया समझा जाएगा। यदि अपग्रेडिड वेतनमान में नियुक्ति हेतु उन्हें उपयुक्त नहीं पाया गया तो वे संशोधित वेतनमान 5000–8000 रु. में बने रहेंगे और उसका/उनका मामला प्रत्येक वर्ष संशोधित किया जाएगा।

यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है ?	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।
12	13	14
लागू नहीं	समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टिकरण के विचारार्थ) :— 1. सचिव (शिक्षा) —अध्यक्ष 2. सचिव (सेवाएं) अथवा उनका प्रतिनिधि जो कि संयुक्त सचिव के ओहदे से कम न हो —सदस्य 3. निदेशक (शिक्षा) —सदस्य 4. सं.स./अ.स./ अति. निदे. (शिक्षा) —सदस्य 5. अनु.जा./अनु.ज.जा. का कोई अधिकारी जो उपसचिव के ओहदे से कम न हो —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं (क) (1) मूल केडर/विभाग में नियमित आधार पर समान पदधारी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
डॉ. शरत चौहान, संयुक्त सचिव (शिक्षा)

DEPARTMENT OF EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 16th January, 2003

F. DE. 4 (19)/3/E.IV/99-EDN./12255-269.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F. 27/59-Him(I) dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor, Delhi is pleased to amend the Recruitment Rules in the Schedule hereto annexed regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the post of Librarian in the Directorate of Education, Government of Delhi.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether selection or non-selection post
1	2	3	4	5
Librarian	*801 (2002) *Subject to variation dependent on workload.	Group-B, non-ministrial	5500-175-9000	N.A.

Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible	Educational & other qualifications required for direct recruits.
6	7	8
Not exceeding 30 years. Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note :—The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim Ladakh Division of J&K state Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep),	No	Essential : (i) Degree from a recognised university or equivalent. (ii) Bachelor's degree or equivalent diploma in Libarary Science or a Recognised University/institute or equivalent. (iii) Experience of two years in a Library/Computerisation of a Library or one year certificate in Computer application from a recognised institute or equivalent Note 1 :—Qualifications are relaxable at the discretion of the S.S.C. in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 :— The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the S.S.C. in case of candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribes. If at any stage of selection the S.S.C. is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Whether age & educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
9	10	11
N.A.	2 Years	Direct Recruitment Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by the appointing authority on deputation basis from officers of Central Government : (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department ; or

311/c 337/c

	11
	(ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 5000—8000 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8. (The maximum age limit for appointment by Deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application). Note : The suitability of the regular holder of the post of librarian in the pre-revised scale of Rs. 1400—2600 prior to upgradation in the scale of Rs. 5500—9000 will be initially assessed by the competent authority for appointment to the upgraded post. If assessed 'suitable' he/they shall be deemed to have been appointed to the post at the initial constitution. If assessed 'Not suitable' for appointment to the upgraded scale of pay, he/they shall continue to be in the revised scale of Rs. 5000—8000 and his/their case would be reviewed every year.

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. to be consulted in making recruitment
12	13	14
N.A.	**Group 'B' DPC (For considering confirmation) :—** 1. Secretary (Education) —Chairman 2. Secretary (Services) or his representative not below the rank of Jt. Secretary. —Member 3. Director (Education) —Member 4. J.S./A.S./Addl. Dir. (Education) —Member 5. An officer belonging to SC/ST not below the rank of Deputy Secretary —Member	Consultation with UPSC not necessary.

By order and in the name of the
Lt. Governor, Delhi

Dr. SHARAT CHAUHAN, Jt. Secy. (Edn.)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.